रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072023-247497 CG-DL-E-21072023-247497

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] No. 419] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 525(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में पशुचिकित्सा काडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के पशु चिकित्सा संवर्ग निरीक्षक (ड्रैसर पशु चिकित्सा), उप-निरीक्षक (ड्रैसर, पशु चिकित्सा), उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीकी पशु चिकित्सा), सहायक उप-निरीक्षक (ड्रैसर पशु चिकित्सा), हैड कांस्टेबल (ड्रैसर पशु चिकित्सा), कास्टेबल (केनलमेंन) के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं. अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा काडर (समृह 'ख' और समृह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना :-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4693 GI/2023 (1)

- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं, आदि : उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता**: वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मैनुअल वाल्यूम III चिकित्सा मैनुअल में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, इन नियमों के उपाबंधों के अधीन प्रोन्नित और नियुक्ति के साथ प्रतिनियुक्ति तथा पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे।
- 7. अन्यदेशीय की अपात्रता.- कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं हैं, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन से वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता.- (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे:

परन्तु कोई कार्मिक जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत होंगे।

- (2) किसी भी व्यक्ति की अधिवर्षिता पर सेवानिवृति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 9. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 10. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
1. निरीक्षक ड्रैसर (पशु	08* (2023)	साधारण केन्द्रीय
चिकित्सा)		सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता	अननुसचिवीय।
	है।	

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7	चयन।
(44900− 142400/-₹.)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित
व्यक्तियों के लिए आयु-	लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में
सीमा।	अहर्ताएँ।	लागू होंगी।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
	तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नही होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए
	प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नित द्वारा: भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (ड्रैसर पशु चिकित्सा) में से वेतन मैट्रिक्स में (35400 - 112400 रू) स्तर-6 के उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्ण प्रोन्नित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी जो,

- (क) वर्तमान काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते है, और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो, अर्थात:-
- (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा स्टाक सहायक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो; और
- (ii) किसी केन्द्रीय या राज्य पशु चिकित्सा अस्पताल से पशुओं की विभिन्न प्रजातियों विशेषरूप से घोड़े और कुत्तों के उपचार में तीन वर्ष का विषयक्षेत्र अनुभव और पशु चिकित्सा अस्पताल या औषधालय का प्रबंधन या संचालन करने में सक्षम हो।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भृतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियक्ति या पुनर्नियोजन के लिए:

संशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले है या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाना है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए ऊपर निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सशस्त्र बलों से नियुक्ति की तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा, उसके पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन
	परिस्थितियों में संघ लोक
	सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के करने के लिए), जिसमें	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे -	
1. उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और	
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)	
या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल 🕒 सदस्य	

(1)	(2)	(3)
2. उप-निरीक्षक (ड्रैसर पशु चिकित्सा)	22* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6	चयन।
(35400− 112400/-रू.)।	

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।

(9)	(10)
दो वर्ष।	(i) सत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;
	(ii) तीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, भूतपूर्व सैनिको के लिए प्रतिनियुक्ति या
	पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति द्वारा: भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक उप निरीक्षक (ड्रैसर पशु चिकित्सा) में से जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 - 93300 रू) में वेतन मैट्रिक्स के उक्त स्तर में छह वर्ष नियमित सेवा की हो तथा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,-

- (क) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो।
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात-
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा पशुधन सहायक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और
 - (ii) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों विशेष रूप से कुत्ते और धोड़े के उपचार में किसी भी केन्द्रीय सरकार या राज्य पशु अस्पताल से तीन वर्ष का अनुभव और पशु अस्पताल या औषधालय चलाने व प्रबंधन में सक्षम हो

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

संशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे -	
1 उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2 कमांडेंट भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और	
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	
2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
निम्नलिखित होंगे -	
1 उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2 कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और	
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	

(1)	(2)	(3)
3. उप-निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीकी पशु	02* (2023)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित,
चिकित्सा)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6	लागू नहीं होता।
(35400– 112400/-रू.)।	

(6)	(7)
आयु तीस वर्ष से अधिक	(क) आवश्यक:-
नहीं होनी चाहिए।	1. विज्ञान में स्नातक के साथ एक वर्ष पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में अनुभव; अथवा
(केन्द्रीय सरकार द्वारा	 चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में डिप्लोमा तथा पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या	(ख) वांछनीय:-
आदेशों के अनुसार	1. प्रयोगशाला कार्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली पद्धति और सामग्री का ज्ञान।
सरकारी सेवेकों के लिए 5	
वर्ष तक शिथिल की जा	
सकती है।)	1. शारीरिक मानक:-
टिप्पण:-	(i) न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नानुसार है:-

आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम. अरूणाचल मेधालय प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मु-कश्मीर सिक्किम. राज्य के लद्दाख खंड. हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड. अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(अ) पुरूषों के लिए:

ऊचाई: 170 सेमी.

शिथिलीकरण: (i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 165 सेंटीमीटर, या

- (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 162.5 सेंटीमीटर, या
- (iii)अनुसूचित जनजाति कि सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित राज्यों से आते है, कि लिए न्यूनतम लंबाई – 160 सेंटीमीटर
- (iv)अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 सेंटीमीटर

જાતા.			
	सामान्य	ऐसे पुरूष जो	सभी राज्यों/संघ राज्य
		पूर्वोत्तर राज्यों से	क्षेत्रों के आदिवासी
		भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से	
		आते है	
(बिना फुलाये)	80 सेंटीमीटर	80 सेंटीमीटर	76 सेंटीमीटर
(फुलाने पर)	85 सेंटीमीटर	85 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
(न्यूनतम 05 सेंटी	मीटर फुलाने पर)		

पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए

(बिना फुलायें) 77 सेंटीमीटर

(फुलाने पर) 82 सेंटीमीटर

... भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊचाई के अनुपात में

(आ)

महिलाओं के लिए

ऊचाई : 157 सेंटीमीटर

शिथिलीकरण:

- गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 155 सेंटीमीटर
- (II) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर,
- (III) अनुसूचित जनजाति कि सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा चरमपंथ प्रभावित राज्यों से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई – 147.5 सेंटीमीटर
- (IV) अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई – 150 सेंटीमीटर

छाती: लागु नहीं।

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊंचाई के अनुपात में

टिप्पण: महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अभिलिखित कारण स्पष्ट करते हुए, असाधारण योग्यता के मामलों में शारीरिक कारणों से विशेष व्यवस्था के रूप में छूट प्रदान कर सकेंगे।

(II) <u>चिकित्सा मानदण्ड</u>

- (अ). दृष्टि- चिकित्सीय दृष्टि से हर प्रकार से फिट होना चाहिए (बिना दोष सुधार के दोनों आंखों की निकटतम दूर दृष्टि 6/6 अथवा 6/9 होनी चाहिए अर्थात बिना कॉर्नियल लेजर सर्जरी, कॉन्टेंक लैंस व चश्में के बिना।)
- (आ). अभ्यर्थी को संघट जानु (नॉक नी), सपाट पांव, फूली हुई नसें यां भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारिरिक स्वास्थय अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।
- (घ). शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

टिप्पण: अभ्यर्थियों के संघट जानु (नॉक-नी)

सपाट पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिएा अभ्यर्थियों का दृष्टिद्वारा परीक्षण क साथ ही एड्रिच-ग्रीन लैंटर्न परीक्षण द्वारा रंग दृष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।

उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता।	दो वर्ष।	(i) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा।
	टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रतिनियक्ति द्वाराः

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकरी :-

- (क) (i) जिन्होने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हे: या
- (ii) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रू) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है: अथवा: इसके समतुल्य तथा
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: अर्थात -
- (i) विज्ञान में स्नातक के साथ पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप मे एक वर्ष का अनुभव या चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीक में डिप्लोमा
- (ii) पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव और प्रयोगशाला पशु तकनीशियन कार्यक्रम किया हुआ हो।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

संशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे -	
1 उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2 कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और	
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
4. सहायक उप-निरीक्षक (ड्रैसर	52* (2023)	साधारण केन्द्रीय
पशु चिकित्सा)		सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय।
	सकता है।	

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5	अचयन।
(29200− 92300/- ₹.)	

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।

(9)	(10)
सेवानिवृत्ति से पूर्व भूतपूर्व सैनिको के पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।	(i) प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) भूतपूर्व सैनिको के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नित द्वारा: भारत तिब्ब्त सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कास्टेबल (ड्रैसर पशु चिकित्सा) में से जिन्होने वेतन मैट्रिक्स (25500 - 81100 रू) स्तर-4 के इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और विहित पूर्व प्रोन्नित पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक परा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी,-

- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो।
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पश् चिकित्सा पश्धन सहायक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो और
- (ii) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों विशेष रूप से कुत्ते और घोड़े के उपचार में किसी भी केन्द्रीय सरकार या राज्य पशु अस्पताल से तीन वर्ष का अनुभव और पशु अस्पताल या औषधालय चलाने व प्रबंधन में सक्षम हो

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

संशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होन वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे -	
1 उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2 कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और	
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
निम्नलिखित होंगे -	
1 उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2 कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और	
3. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
5. हैड कांस्टेबल (ड्रैसर पशु चिकित्सा)	66* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	लागू नहीं होता।
(25500– 81100/-₹)	

(6)	(7)
आयु 18 से 27 के बीच।	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समतुल्य
	(2) अभ्यर्थी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए	चिकित्सा, चिकित्साशास्त्र पशुधन प्रबंध से संबंधित न्यून्तम
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवेकों के लिए 40	एक वर्ष की अवधि का नियमित पैरा पशु चिकित्सा
वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र
टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	प्राप्त किया हो।
तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने कि लिए	
नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम	
तारीख जो असम, मेधालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,	
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र के	

लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा
चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, संध राज्य क्षेत्र अंदमान और
निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित
की गई है।

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता।	दो वर्ष।	अन्य संवर्गो के विभागीय उम्मीदवारों को आमेलन द्वारा स्तंभ (11) में दी गई योग्यता अनुसार जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

आमेलन द्वारा: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700 - 69100 रू) में ऐसे कान्सटेबल जिन्होने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होनें

- (i) भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित बेसिक कंडेंस कोर्स पूरा किया हो: और
- (ii) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा, चिकित्साशास्त्र पशुधन प्रबंध से संबंधित न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का नियमित पैरा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम या डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे -	लागू नहीं होता।
1 कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य;	
3. ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
6. हैड कांस्टेबल	1* (2023)	साधारण केन्द्रीय
(रेडियोग्राफर पशु चिकित्सा)		सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय।
	सकता है।	

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	लागू नहीं होता।
(25500– 81100/-₹.)	

(6)

आयु 18 से 27 के बीच।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवेकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण:- आय-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने कि लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम. मेधालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड. संध राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

- (क) आवश्यक:
- (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समतुल्य
- (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा रेडियोग्राफी में डिप्लोमा प्रमाण पत्र कार्यक्रम।
- (ख) वांछनीय: कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान
- (ग) शारीरिक/चिकित्सीय मानदंड
- (i) शारीरिक मानदंड:- न्यूनतम शारिरिक मानक निम्नानुसार है :-
- (अ) <u>पुरूषों के लिए</u> ऊंचाई 170 सेंटीमीटर

शिथिलीकरण:

- (i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, और संघे राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 165 सेंटीमीटर, या
- (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 162.5 सेंटीमीटर, या
- (iii) अनुसूचित जनजाति कि सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलो से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई – 160 सेंटीमीटर
- (iv) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 सेंटीमीटर

छाती:

GIVII.			
	सामान्य	ऐसे पुरूष जो	सभी राज्यों/संघ
		पूर्वोत्तर राज्यों से	राज्य क्षेत्रों
		भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से	
		आते है	
(बिना फुलाये)	80 सेंटीमीटर	78 सेंटीमीटर	76 सेंटीमीटर
(फुलाने पर)	85 सेंटीमीटर	83 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
(न्यूनतम 05 सेंटीमीटर फुलाने पर)			

पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए

(बिना फुलायें) 77 सेंटीमीटर (फुलाने पर) 82 सेंटीमीटर

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊचाई के अनुपात में

(आ) महिलाओं के लिए ऊंचाई : 157 सेंटीमीटर

शिथिलीकरण:

(i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, और संध

राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 155 सेंटीमीटर

- (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 152.5 सेंटीमीटर, या
- (iii) अनुसूचित जनजाति कि सभी अभ्यर्थियों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलो से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई – 147.5 सेंटीमीटर
- (iv) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भिन्न जिलो से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई 150 सेंटीमीटर

छाती: लागू नहीं।

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊंचाई के अनुपात में

टिप्पण: महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अभिलिखित कारण स्पष्ट करते हुए, असाधारण योग्यता के मामलों में शारीरिक कारणों से विशेष व्यवस्था के रूप में छट प्रदान कर सकते है।

(ii) चिकित्सा मानदण्ड

- (अ). दृष्टि- चिकित्सीय दृष्टि से हर प्रकार से ठीक होना चाहिए (बिना दोष सुधार के दोनों आंखों की निकटतम दूर दृष्टि 6/6 अथवा 6/9 होनी चाहिए अर्थात बिना कॉर्नियल लेजर सर्जरी, कॉन्टेंक लैंस व चश्में के बिना।)
- (आ). अभ्यर्थी को संघट जानु (नॉक-नी), सपाट पांव, फूली हुई नसें यां भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारिरिक स्वास्थय अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।
- (घ). शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

टिप्पण: अभ्यर्थियों के संघट जानु (नॉक-नी)

सपाट पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिएा अभ्यर्थियों का दृष्टिद्वारा परीक्षण क साथ ही एड्रिच-ग्रीन लैंटर्न परीक्षण द्वारा रंग दृष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।

उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
		टिप्पण- प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन
	सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए	अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या
	केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम	उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को
	से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश	केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा
	प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है जो अपने
		मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

धारण करते हों।
या
केन्द्रीय करकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के
ऐसे अधिकारी, जो
(i) रेडियोग्राफ में तीन वर्ष का अनुभव रखा हो: और;
(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यताप्राप्त संस्थान से
रेडियोग्राफर पाठ्यक्रयम में प्रमाणपत्र रखते हों; और
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो
भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:
सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होन वाले या रिजर्व में
स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास
प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, पर भी विचार किया
जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति
के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें
सशस्त्र बलों से निर्मक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें
पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	लागू नहीं होता।
होंगे -	
3 कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
4 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या	
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य;	
3. ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)
7. कांस्टेबल	04* (2023)	साधारण केन्द्रीय
(केनलमेन)		सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	अननुसचिवीय।
	सकता है।	

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3	लागू नहीं होता।
(21700− 69100/-₹.)	

(6) (7)

आयु 18 से 27 के बीच।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवेकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण:- आय्-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने कि लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम. मेघालय अरूणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लहाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड. संध राज्य क्षेत्र लहाख, अंदमान और निकोबार द्वीप लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(क) आवश्यक:

- (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समतुल्य
- (ख) शारीरिक/चिकित्सीय मानदंड
- (i) शारीरिक मानदंड:- न्यूनतम शारिरिक मानक निम्नानुसार है :-
- (अ) <u>पुरूषों के लिए</u>

ऊंचाई 170 सेंटीमीटर

शिथिलीकरण:

- (i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 165 सेंटीमीटर, या
- (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेधालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 162.5 सेंटीमीटर, या
- (iii) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलो से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई – 160 सेंटीमीटर
- (iv) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 सेंटीमीटर; और

छाती:

	सामान्य	ऐसे पुरूष जो पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से आते है	
(बिना फुलाये)	80 सेंटीमीटर	78 सेंटीमीटर	76 सेंटीमीटर
(फुलाने पर)	85 सेंटीमीटर	83 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
(न्यूनतम 05 सेंटीय	नीटर फुलाने पर)		

पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए

(बिना फुलायें) 77 सेंटीमीटर (फुलाने पर) 82 सेंटीमीटर

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊचाई के अनुपात में

(आ) महिलाओं के लिए ऊंचाई : 157 सेंटीमीटर

___ शिथिलीकरण:

- (i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश, और संध राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार क्षेत्र समूह तथा लक्ष्यद्वीप क्षेत्रो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 155 सेंटीमीटर
- (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम – 152.5 सेंटीमीटर, या
- (iii) अनुसूचित जनजाति कि सभी अभ्यर्थियों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलो से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई – 147.5 सेंटीमीटर
- (iv) अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से तथा अति उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न राज्यों से आते है, के लिए न्यूनतम लंबाई 150 सेंटीमीटर

छाती: लागु नहीं।

भार: चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा ऊंचाई के अनुपात में

टिप्पण: महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अभिलिखित कारण स्पष्ट करते हुए, असाधारण योग्यता के मामलों में शारीरिक कारणों से विशेष व्यवस्था के रूप में छूट प्रदान कर सकते है।

(ii) चिकित्सा मानदण्ड

- (अ). दृष्टि- चिकित्सीय दृष्टि से हर प्रकार से ठीक होना चाहिए (बिना दोष सुधार के दोनों आंखों की निकटतम दूर दृष्टि 6/6 अथवा 6/9 होनी चाहिए अर्थात बिना कॉर्नियल लेजर सर्जरी, कॉन्टेंक लैंस व चश्में के बिना।)
- (आ). अभ्यर्थी को संघट जानु (नॉक-नी), सपाट पांव, फूली हुई नसें यां भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और रंग दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उनका मानसिक और शारिरिक स्वास्थय अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।
- (घ). शारीरिक मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच में अर्हता प्राप्त होना चाहिए।

टिप्पण: अभ्यर्थियों के संघट जानु (नॉक-नी)

सपाट पांव, फूली हुई नसें या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिएा अभ्यर्थियों का दृष्टिद्वारा परीक्षण क साथ ही एड्रिच-ग्रीन लैंटर्न परीक्षण द्वारा रंग दृष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा।

उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे दोष से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
		टिप्पण- प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन
		अवकाश या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या
		उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को
		केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा
	प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा:
		(क) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित

	आधार पर सदृश पद धारण करते हों। और;
	(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखि	त लागू नहीं होता।
होंगे -	
1. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)	
अथवा कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2. ज्येष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य;	
3. सहायक पशु चिकित्सक सर्जन या	
सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल -सदस्य।	

[फा. सं. I-12022/15/2019-संगठन] पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2023

- G.S.R. 525.(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' and Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector(Dresser Veterinary), Sub-Inspector(Dresser Veterinary), Sub-Inspector(Lab Technician Veterinary), Assistant Sub-Inspector(Dresser Veterinary), Head Constable(Dresser Veterinary), Head Constable(Veterinary Radiographer), Constable(Kennelman) of Veterinary Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Veterinary Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.-**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classifications and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

- **5. Disqualification.**—No person,—
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Medical Fitness.** Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual, Volume-III, shall be eligible for promotion and appointment including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.
- 7. **Ineligibility of non-citizens of India.** No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation. — **(1)** Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

- (2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.
- **9. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **10. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	
(1)	(2)	(3)	
1. Inspector	08*(2023)	General Central	
(Dresser	*Subject to variation dependent on	Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-	
Veterinary).	work load.	Ministerial.	

Level in pay matrix.	Whether selection post or non -selection post
(4)	(5)
Level-7 in the pay matrix (Rs.44900–142400).	Selection.

Age limit for direct recruits.
(6)
Not applicable.

Education and other	Whether age and	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by
qualifications	educational		direct recruitment or by promotion or
required for direct	qualifications		by deputation absorption and
recruits.	prescribed for		percentage of the vacancies to be filled
	direct recruits will		by various methods.
	apply in the case		
	of promotees.		
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by
			deputation. For ex-servicemen
			deputation or re-employment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

By promotion:

From amongst Sub-Inspector (Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training course.

Note: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories,-

- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
 - (i) pass in Veterinary Stock Assistant Course from a recognised institute; and
- (ii) three years field experience in treatment of various species of animals particularly equine and canine from any Central or State Veterinary Hospital and able to manage or run Veterinary Hospital or dispensary.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-servicemen deputation or re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.
1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;	
2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;	
3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member.	
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	

(1)	(2)	(3)
2. Sub- Inspector	22*(2023)	General Central
(Dresser Veterinary).	*Subject to variation dependent on	Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-
	workload.	Ministerial.

(4)	(5)
Level-6 in the pay matrix	Selection.
(Rs.35400-112400).	

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years.	(i) seventy per cent by promotion failing which by deputation;
	(ii) thirty percent by deputation for ex-servicemen deputation or
	re-employment.

By promotion:

From amongst the Assistant Sub-Inspector(Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years of regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre promotional training or course.

Note: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories,-

(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; and

- (b) possessing the following qualifications and experience, namely:-
- (i) pass in Veterinary Stock Assistant Course from a recognised institute; and
- (ii) three years field experience in treatment of various species of animals particularly equine and canine from the Central or the State Veterinary Hospital and able to manage or run Veterinary Hospital or dispensary.
- **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-servicemen deputation or re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)		
(I.) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-		
	applicable.	
1. Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;		
2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;		
3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or		
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.		
(II.) Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting		
of:-		
1. Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;		
2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;		
3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or		
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.		

(1)	(2)	(3)
3. Sub-Inspector	02*(2023)	General Central
(Lab	*Subject to variation dependent on workload.	Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-
Technician		Ministerial.
Veterinary).		

(4)	(5)
Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400–112400).	Not applicable.

(6)

Not exceeding thirty years of age.

(Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)

(a) Essential:

- (i) Bachelor degree of Science with one year experience as Veterinary Technician; or
- (ii) Diploma in Medical Lab Technology and two years experience as Veterinary Technician.

(b) Desirable:

- (i) Knowledge regarding the methods and materials used in laboratory work.
- (ii) Basic knowledge of computers.
- (c) Physical Standards or Medical Standards
 - (i) Physical Standards: The minimum physical standard required is as under:-
 - A. For male:

Height: 170 centimeters

Relaxation:

I. Candidates falling in the categories of Garhwalis,

Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging : 165 centimeters; or to the State of Assam, Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.

II. Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh,

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. : 162.5 centimeters; or

III. All candidates belonging to Scheduled Tribes hailing from the

North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism : 160 centimeters; or

affected Districts.

IV. All candidates belonging to Scheduled Tribes other

then North-Eastern States and Left Wing Extremism : 162.5 centimeters; and

Affected Districts.

Chest:

General Men belonging to hill Tribals of all

areas other then States or Union territories

North-Eastern States

(Unexpanded) 80 centimeters 80 centimeters 76 centimeters (Expanded) 85 centimeters 85 centimeters 81 centimeters

(with minimum expansion of 5 cm)

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura;

(Unexpanded) 77 centimeters (Expanded) 82 centimeters

Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

B. For female:Height: 157 centimeters.

Relaxation:

I. Candidates falling in the categories of Garhwalis,

Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas Gorkhas, Dogras, Marathas : 155

and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh centimetres; or

and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.

II. Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, : 152.5

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. Centimetres; or

III. All candidates belonging to the Scheduled Tribes hailing From the

North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected : 147.5

Districts. Centimetres; or

IV. All candidates belonging to the Scheduled Tribes other then North-Eastern : 150

States and Left Wing Extremism Affected Districts. Centimetres;

Chest: Not applicable.

Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police Force may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

(ii) Medical Standards:

- A. Eye sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.
- B. The candidates shall not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the Eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.
- (d) The candidates shall qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.

Note: The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by ishihara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	(i) By deputation or re-employment;
	Note: There shall be a	(ii) For Ex-serviceman: Deputation or re-
	mandatory induction training	employment failing which by direct recruitment.
	of at least two weeks duration	
	for successful completion of	

probation as prescribed by the	
Central Government.	

By deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (i) with six years regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:-
 - (i) Bachelor degree of Science with one year experience as Veterinary Technician or Diploma in Medical Lab Technology.
 - (ii) Two years experience as Veterinary Technician and have undergone laboratory animal Technician programme.
- **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-servicemen deputation or re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (fo	Not applicable.	
of:-		
1.Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;		
2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member;	
3. Chief Veterinary Officer(Selection Grade) or	- Member.	
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police F	orce	

(1)	(2)	(3)
4. Assistant	52*(2023)	General Central
Sub-Inspector	*Subject to variation dependent on	Service, Group 'C', Non-Gazetted,
(Dresser	workload.	Non-Ministerial.
Veterinary).		

(4)	(5)
Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.
(RS.29200-92300).	

(6)	
Not applicable.	

(7)	(8)	(9)			(10)	
Not applicable.	Not	Two years	for r	2 -	(i) By promotion failing which by	
	applicable.	employment	of e	Κ-	deputation;	
		servicemen	befo	re	(ii) For ex-serviceman deputation or re-	
		superannuation	on.		employment.	

By promotion:

From amongst the Head Constable (Dresser Veterinary) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years of regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre promotional training or course.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territories,-

- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following qualifications and experience, namely:-
- (i) pass in Veterinary Stock Assistant Course from a recognised institute; and
- (ii) three years field experience in treatment of various species of animals particularly equine and canine from any Central or State Veterinary Hospital and able to manage or run Veterinary Hospital or dispensary.
- **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-servicemen deputation or re-employment:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
I. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.
consisting of:-	
 Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police - Chairman; Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Member; Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member. Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police 	
II. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1.Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police - Chairman;	
2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police - Member;	
3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member.	
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police	

(1)	(2)	(3)
5. Head Constable (Dress	er 66* (2023)	General Central
Veterinary).	*Subject to variation dependent on workload.	Service, Group 'C', Non-
		Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)
Level-4 in the pay matrix	Not applicable.
(Rs. 25500-81100).	

(6)

Between 18 and 27 years of age.

(Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)
(i) 12 th class pass from a recognised Board;	Not applicable.
(ii) The candidates shall have passed regular Para Veterinary Course or	
Diploma or Certificate of minimum one year duration related to Veterinary.	
Therapeutic or Livestock Management from a Government recognised	
institute.	

(9)	(10)	
Two years.	By absorption of departmental candidates from other cadres having qualification as	
	mentioned in column (11) failing which by direct recruitment.	

By absorption:

From amongst Constables of Indo-Tibetan Border Police Force in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years of regular service in the grade and who have undergone,-

- (i) basic Condensed Course organised by Indo-Tibetan Border Police Force; and
- (ii) have passed regular Para Veterinary Course or Diploma or Certificate of minimum one year duration related to Veterinary. Therapeutic or Livestock Management from a Government recognised institute.

(12)	(13)
Group 'C 'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	Not applicable.
consisting of:-	
1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;	
2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member;	
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	
3. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	

(1)	(2)	(3)
6 . Head Constable	01*(2023)	General Central
(Veterinary	*Subject to variation dependent on	Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-
Radiographer).	workload.	Ministerial.

(4)	(5)
Leve- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)

Between 18 and 27 years of age.

(Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)

(a) Essential:

- (i) 12th class pass from a recognised Board;
- (ii) Diploma certificate programs in Veterinary Radiography from a recognised institution.

(b) Desirable:

Basic knowledge of Computer.

- (c) Physical Standards or Medical Standards,-
- (i) Physical Standards: The minimum physical standard required is as under:-

A. For male:

Height: 170 centimeters

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

Relaxation:

I. Candidates falling in the categories of Garhwalis,

Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging : 165 centimeters; or

Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.

Ladakii, Alidaliiali alid ivicobai Islands alid Laksiiwadeep.

II. Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh,

to the State of Assam, Himachal Pradesh and the Union territories of

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. : 162.5 centimeters; or

III. All candidates belonging to the Scheduled Tribes hailing from the

North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism : 160 centimeters; or

affected Districts.

IV. All candidates belonging to the Scheduled Tribes other

then North-Eastern States and Left Wing Extremism : 162.5 centimeters; and

Affected Districts.

Chest:

General Men belonging to hill Tribals of all

areas other then States or Union territories

North-Eastern States

(Unexpanded) 80 centimeters 78 centimeters 76 centimeters (Expanded) 85 centimeters 83 centimeters 81 centimeters

(with minimum expansion of 5 cm)

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland,

Sikkim and Tripura;

(Unexpanded) 77 centimeters(Expanded) 82 centimeters

Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

B. For Female:

Height: 157 centimeters

Relaxation:

I. Candidates falling in the categories of Garhwalis,

Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas Gorkhas, Dogras, Marathas : 155

and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh centimetres; or

and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.

II. Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, : 152.5

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. Centimetres; or

III. All candidates belonging to the Scheduled Tribes hailing From the

North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected : 147.5

Districts. Centimetres; or

IV. All candidates belonging to the Scheduled Tribes other then North-Eastern : 150

States and Left Wing Extremism Affected Districts. Centimetres; and

Chest: Not applicable.

Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police Force may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

(ii) Medical Standards:

- A. Eye sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.
- B. The Candidates shall not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the Eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.
- (d) The Candidates shall qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.

Note: The candidates shall not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by ishihara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)

By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,-

- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or Officers of Central Government or State Government or Union territory Government,-
- (i) with three years experience of radiograph; and
- (ii) The candidates shall have certificate radiographer course from a recognised Institute; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7)

For Ex-servicemen deputation/re-employment :

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience prescribed above for deputationists shall also be considered. Such person would be given deputation terms up to the date on which they are due for release form the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(11)	
Not applicable.	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	Not applicable.
consisting of:-	
1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;	
2. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or - Member;	
Chief Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	
3. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	

(1)	(2)	(3)
	04*(2023)	General Central
7. Constable	*Subject to variation dependent on work	Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-
(Kennelman).	load.	Ministerial.

(4)	(5)
Level-3 in the pay matrix	Not applicable.
(Rs. 21700 - 69100).	

(6)

18 to 27 years of age.

(Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)

(a) Essential:

10th class pass from a recognised Board.

- (b) Physical Standards or Medical Standards.
- (i) Physical Standards: The minimum physical standard required is as under:-

(A.) For male:

Height: 170 centimeters

Relaxation:

I. Candidates falling in the categories of Garhwalis,

Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging : 165 centimeters; or

to the State of Assam, Himachal Pradesh and the Union territories of

Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshwadeep.

II. Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh,

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. : 162.5 centimeters; or

III. All candidates belonging to the Scheduled Tribes hailing from the

North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism : 160 centimeters; or

affected Districts.

IV. All candidates belonging to the Scheduled Tribes other

then North-Eastern States and Left Wing Extremism : 162.5 centimeters; and

Affected Districts.

Chest:

General Men belonging to hill Tribals of all

areas other then States or Union territories

North-Eastern States

(Unexpanded)80 centimeters78 centimeters76 centimeters(Expanded)85 centimeters83 centimeters81 centimeters

(with minimum expansion of 5 cm)

Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura;

(Unexpanded) 77 centimeters(Expanded) 82 centimeters

Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

B. For Female:

Height: 157 centimeters.

Relaxation: I. Candidates falling in the categories of Garhwalis,

Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas Gorkhas, Dogras, Marathas and : 155

and Candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh centimetres; or

and Union territory of Kashmir and Ladakh.

II. Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh,

Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. : 152.5 centimetres; or

III. All candidates belonging to Schedule Tribes hailing From the

North- Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected : 147.5 centimetres; or

Districts.

IV. All candidates belonging to Scheduled Tribes other then North-Eastern

States and Left Wing Extremism Affected Districts. : 150 centrimetres

Chest: Not applicable.

Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police Force may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

(ii) Medical Standards:

- A. Eye sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.
- B. The candidates shall not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the Eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.
- (d) The candidates shall qualify physical standard test, physical efficiency test, written test and medical test.

Note: The candidates shall not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by ishihara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(8)	(9)	
Not applicable.	Two years.	
	Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	

(10)

By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government

- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and
 - (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column(7)

	(11)	
Not applicable.		

(12)		(13)
Group 'C 'Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)		Not applicable.
consisting of:-		
1. Chief Medical Officer (Selection grade) or Commandant,	- Chairman;	
Indo-Tibetan Border Police Force		
2. Senior Veterinary Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member;	
3. Veterinary Assistant Surgeon or Assistant Commandant,	- Member.	
Indo-Tibetan Border Police Force.		

[F. No. I.12022/15/2019-Org]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.